रजिस्टर्ड सं० डी०(डी०)-73

REGISTERED No. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20, 1976/फाल्गुन 30, 1897

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20, 1976/PHALGUNA 30, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1976

सा०का०नि० 398.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग प्रवर्तन निदेशालय में महिला तलाशी करने वाली (सर्चर) के पद पर भर्ती करने की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम प्रवर्तन निदेशालय (महिला तलाशी करने वाली) भर्ती नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना:—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं:—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

"50 per cent by direct recruitment

50 per cent by promotion";

(c) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"No"

(d) in column 12, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"From Junior Book Binder with Two years' approved service in the grade.";

(e) in column 13, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Class III, D.P.C.";

(34) against S. No. 57 relating to the post of Carpenter, in column 9, for the existing entries, the following shall be substituted, namely:—

(i) Certificate in Carpenting from a recognised institution

(ii) Two years' experience in carpenting

OR

(i) Middle School Standard Pass

(ii) Five years' experience in carpenting.";

(35) against S. No. 59 relating to the post of Khansama,—

(a) in column 6, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Non-Selection"

(b) in column 7, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"100 per cent by promotion failing which by direct recruitment"

(c) in column 9, for the existing entries, the following shall be substituted, namely:—

(i) Middle School Standard Pass

(ii) Two years' approved experience in cooking Indian dishes and in catering";

(d) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely: –

"No"

(e) in column 12, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Junior Khansama with three years' service in the grade"

(f) in column 13, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Class III, D.P.C.".

[F. No. 14-2/74-Admn.-II]

M. N. DESHPANDE, Director General

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1976

सा० का० नि०415.—केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5-ख की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं० सा०का०नि० 168 तारीख 6 फरवरी, 1960 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में, "साधारण सिद्धान्तों का लागू होना," शीर्षक के अन्तर्गत, खंड II में प्रविष्टि (xv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(xv) एल्कोहलिक पेयों से मत्तता या उनका पान या विज्ञापन।"

[फा० सं० 7/37/75 एफ सी]

एस० घोष, उप-सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 27th February, 1976

G.S.R. 415.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5B of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification No. G.S.R. 168 dated the 6th February, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Application of General Principles", in Section II, for entry (xv), the following entry shall be substituted, namely : -

"(xv) drunkenness or drinking, or advertisement, of alchoholic drinks."

[F. No. 7/37/75-FC]

S. GHOSE, Dy. Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1976

सा० का० नि०416.—आकाशवाणी (श्रेणी-4 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में "लाइब्रेरी अटेंडेंट" से संबंधित क्रम संख्या 17 (अधिसूचना संख्या 1/17/73-बी(ए) दिनांक 13 नवम्बर, 1973 के द्वारा अन्तःस्थापित) के सामने कालम 13 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"उन स्टूडियो अटेंडेंटों में से जिनकी ग्रेड में दो वर्ष की सेवा हो, ऐसा न हो सकने पर उन रिकार्ड सार्टरों, दफ्तरियों, दफ्तरी-व-गेस्टेटनर आपरेटरों, गेस्टेटनर आपरेटरों और स्टूडियो गार्डों में से जिनकी ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो, इन दोनों के न हो सकने पर उन चपरासियों में से जिनकी ग्रेड में चार वर्ष की सेवा हो।

नोट : वरीयता की गणना ग्रेड में लगातार नियमित नियुक्ति की तारीख से की जायेगी।"

[संख्या 1/17/73-बी० (ए)]

राधा कृष्ण खट्टर, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th February, 1976

G.S.R. 416.—In the All India Radio (Class IV posts) Recruitment Rules, 1964, in the Schedule, in Column 13 against Serial No. 17, "Library Attendant" (inserted vide Notification No. 1/17/73-B(A), dated 13th November, 1975) for the existing entry the following shall be substituted, namely :—

"From among Studio Attendants with two years' service in the Grade, failing which from amongst Record Sorters, Daftries, Daftry-cum-Gestetner Operators, Gestetner Operators and Studio Guards with three years' service in the grade failing both, from amongst Peons with four years' service in the grade.

Note:—Seniority will be reckoned from the date of continuance regular appointment in the grade."

[No. 1/17/73-B(A)]

R. K. KHATTAR, Under Secy.